



2026:AHC-LKO:4690-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 535 सन 2026

मुन्नी देवी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन
विभाग लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	आनंद सिंह पवार, निष्ठा सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चन्द्रा

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को, राज्य प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को और लखनऊ विकास प्राधिकरण - प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश चन्द्रा को सुना गया।
2. वर्तमान में दिनांक 25.10.2024 के विध्वंस आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए मकान या मकान के हिस्से, जिसका क्रमांक 503/134 (208ए) है, का नाम नहीं है। प्रथम दृष्टया, एक ही परिसर के संबंध में इस प्रकार का विभाजन या अलग-अलग क्रमांकों का आवंटन केवल स्वामित्व परिवर्तन होने पर ही होता है, जब तक कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता न्यायालय को अन्यथा संतुष्ट न कर सकें। इसलिए, चूंकि याचिकाकर्ता को विध्वंस कार्यवाही में कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए दिनांक 25.10.2024 के आदेश के अनुसार उसके मकान या उसके द्वारा दावा किए गए परिसर का विध्वंस नहीं हो सकता।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. इस स्तर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश चन्द्रा ने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराया, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 27 के तहत नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी जाए और याचिका का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाए।
4. श्री रत्नेश चन्द्रा द्वारा दिए गए उपरोक्त कथन के मद्देनजर, हम इस याचिका का निस्तारण इस टिप्पणी के साथ करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराया, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 27 के तहत कार्यवाही करने का कोई कारण बनता है, तो निर्धारित प्राधिकारी दिनांक 25.10.2024 के आदेश पर भरोसा किए बिना कार्यवाही कर सकता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि कार्यवाही करने से पहले, निर्धारित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तथ्यों और कानून के आधार पर कोई कारण बनता है। यह आदेश दिनांक 25.10.2024 के आदेश के कार्यान्वयन पर उन व्यक्तियों के संबंध में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जिनकी सुनवाई उन कार्यवाही में हुई थी। इस आदेश के मद्देनजर, लखनऊ विकास प्राधिकरण मौजूदा परिसर को तब तक ध्वस्त नहीं करेगा, जब तक कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराया, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 27 के तहत कानून के अनुसार आदेश पारित न हो जाए।
5. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 21, 2026

अर्णिमा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।